अशरफ खां पुत्र भाखी खां
20. हनीफ खां पुत्र भाखी खां
21. गाल खां पुत्र भाखी खां
22. मजीद खां पुत्र भाखी खां
23. सलेम खां पुत्र भाखी खां
24. मदीना पत्नी भाखी खां
25. बीबी पुत्री भाखी खां
जाति मुसलमान निवासी टेकरा
26. कमला पत्नी मगलाराम
जाति विश्नोई निवासी कानसिंह की सिड
27. रामलाल पुत्र धोकलराम
जाति विश्नोई निवासी फतेहसागर
तहसील लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :—10/2018

उपस्थित

1. श्री करणीसिंह राठौड़ व श्री मदनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 11, 12,14,16,26 व 27 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 19 से 25 की ओर से।
4. श्री विजय तंवर अधिवक्त अप्रार्थीगण संख्या 10 व 18 की ओर से।
5. अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 9, 13, 15 व 17 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक : 17/05/19

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम कानसिंह की सिड तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 238 मूल रकबा 176 बीघा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि का पूर्व में सभी खातेदारान् अर्थात प्रार्थी एंव वाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 या पूर्व के खातेदारों के मध्य कभी भी विधिवत विभाजन नहीं हुआ लेकिन समय समय पर मूल खातेदारान् द्वार विक्रय करने एवं आगे से आगे विक्रय होने पर बिना विधिवत विभाजन के पक्षकारान् के अलग अलग खाते गलत कायम किये है जिसे समेकित करवाकर विकल्प में वर्तमान दर्ज हिस्से जमाबंदियों अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त काश्त भूमि का विधिवत् विभाजन स्वयं एवं वाद के प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8 के मध्य करवाने का विधिक हकदार है। प्रार्थी भी मूल रकबा 176 बीघा में से रकबा 2 बीघा भूमि का क्रेता काबित है वर्तमान में खसरा नम्बर 238/7 रकबा 2 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है पूर्व खातेदार प्रहलाद पुत्र धोंकलाराम ने दिनांक 30/10/2002 को अपनी 46 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से रकबा

सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

धा भूमि सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति रावणा राजपूत निवासी बाप को विक्रय की समें भूमि के पडौस दर्शित कर एन.एच. 15 के चिपती भूमि विक्रय की क्रेता सुरेश कुमार, उसी माफिक कब्जा प्राप्त किया. सुरेश कुमार से उक्त पड़ौस कब्जा की रकबा 2 बीघा श्री प्रार्थी ने दिनांक 23/08/2007 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय कर कब्जा प्त किया जिस पर आज रोज तक भौतिक कब्जा वादी का चला आ रहा है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का विक्रय पत्र दिनांक 30/10/2002 में वर्णित पड़ौस अनुसार अपनी भूमि की घोषणा करवाने व वंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 238/18 रकबा 12 बीघा 10 विस्वा खसरा नम्बर 238/15 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है, खसरा नम्बर 3/10 रकबा 12 बीघा 10 विस्वा व खसरा नम्बर 238/4 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा भूमि र्थी संख्या 2 के नाम दर्ज ह जिसमें से खसरा नम्बर 238/4 व 238/15 की भूमि अप्रार्थीगण ने राजस्व नक्शा में बिना विधिवत विभाजन राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर गलत तरमीम करवा ली है जिससे प्रार्थी के काश्तकारी अधिकार प्रभावित होते है इसलिये प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 238/4 व 238/15 की विधि विरूद्ध तरमीम को निरस्त करवाने हेतु पेश है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 28/12/2017 को अपने विक्रय पत्र दिनांक 23/10/2002 के माफिक वादग्रस्त भूमि का विधिवत् विभाजन सक्षम अधिकारी के समक्ष निष्पादित करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने खाते अलग अलग दर्ज होने का कहते हुवे वंटवाड़ा विलेख निष्पादित करने से इन्कार कर दिया एवं प्रार्थी को धमकी दी कि तुम्हारे हिस्से की भूमि में बलपूर्वक निर्माण कार्य कर तुम्हें वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देंगें अप्रार्थीगण संख्या में अधिक एवं बलशाली प्रभावशाली है ये सभी मिलकर प्रार्थी को उसके जायज हक हिस्से कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर देते है तो प्रार्थी को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ेगा एंव अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति किसी सूरत में सम्भव नहीं हो जायेगी। इसलिये प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश है कि अप्रार्थीगण ग्राम कानसिंह की सिड तहसील बाप स्थित खसरा नम्बर 238 व उसके समस्त बट्टा नम्बरान् की वादग्रस्त काश्त भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य विधिवत विभाजन से पूर्व नहीं करे और विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड तथा मौका की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 11, 12,14,16,26 व 27 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, अप्रार्थीगण संख्या 19 से 25 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 व 18 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय तंवर उपस्थित आये, और शेष अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 9, 13, 15 व 17 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसका सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कानसिंह की सिड तहसील बाप स्थित वादग्रस्त खसरा नम्बर 238 में से खसरा नम्बर 238/7 रकबा 2 बीघा भूमि का प्रार्थी को विक्रय पत्र

Scanned by CamScanner

...ा समय समय पर अलग अलग बेचान होने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 27 के नाम अलग अलग दर्ज है जो जमाबंदी संवत् से 2076 से प्रमाणित होता है लेकिन प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि भूमि नक्शा ट्रैस में सामलाती ही है और मौके पर बंटवारा नहीं हो रखा है। लेकिन भूमि के नक्शा ट्रैस में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरमीम हो रखी है उक्त भूमि से नेशनल हाईवें 11 निकलता है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र में नेशनल हाईवे भूमि के प्रतिनिधि कों उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है उक्त भूमि जमाबंदी में अलग अलग दर्ज होने से मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा खातेदारों के आग्रह पर मौका देखकर ही की जा सकती है उक्त सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है कि उक्त भूमि जमाबंदी में अलग अलग दर्ज होने से सामलाती खातेदारी की भूमि नहीं है अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है। इसलिये सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति का ... अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार ... से उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद जारी किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नही होता है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन ... जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन पाया जाने से दिनांक 16.01.2018 को जारी अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है और उनवान प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर ...ाली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो और संलग्न दावा रहे।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 17/5/2019 को सुनाया गया।

न्यायालय सहायक जिलाधिकारी ... जिला जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
[illegible] (जिला जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner